AISEVAK.IN · नि:शुल्क गाइड

Event Liquor Permit Guide

Events, Weddings & Entertainment

दस्तावेज़ प्रकार : लाइसेंस / वैधानिक फाइलिंग · तैयार किया गया 15 Oct 2026

यह गाइड बताती है कि यह टूल क्या बनाता है, उसका उपयोग कैसे करें, और किन बातों का ध्यान रखें। टूल का वास्तविक आउटपुट (ड्राफ्ट/रिपोर्ट) टूल पेज पर बनता है।

पृष्ठभूमि

इवेंट में शराब परोसने से पहले अस्थायी आबकारी (excise) शराब-परमिट चाहिए।

इस टूल और आउटपुट का उद्देश्य

यह टूल इवेंट शराब-परमिट समझाता है।

आउटपुट का उपयोग कैसे करें

इवेंट में शराब वैध रूप से परोसने के लिए उपयोग करें।

यह किसे दिया जाता है

परमिट राज्य आबकारी विभाग (ज़िला आबकारी कार्यालय के माध्यम से) अस्थायी इवेंट हेतु जारी करता है।

कैसे जमा करें / दाखिल करें

आबकारी कार्यालय को इवेंट, स्थल, तिथि और मात्रा-विवरण के साथ आवेदन करें, निर्धारित शुल्क चुकाएँ, और इवेंट से पहले अस्थायी परमिट लें; शराब केवल लाइसेंसी विक्रेता से लें।

शुल्क और खर्च

मात्रा और इवेंट पर आधारित अस्थायी-परमिट हेतु राज्य आबकारी शुल्क ; यह राज्य अनुसार काफ़ी भिन्न।

इसकी जाँच किससे कराएँ

राज्य आबकारी विभाग, जो परमिट देता है ; राज्य-नियम जटिल हों तो वकील/आबकारी-सलाहकार।

महत्वपूर्ण सावधानियाँ

बिना परमिट शराब परोसना अवैध है ; आयु-सीमा और समय-नियमों का पालन करें।

साथ के दस्तावेज़

- Event Permits & Licences Guide
- Police NOC Application Kit
- Fire Safety NOC Guide
- Event Music Licence Guide
- Event Business GST Guide
- Event Insurance Guide

यह एआई-सहायित मार्गदर्शन है। किसी भी बाध्यकारी निर्णय से पहले योग्य पेशेवर से पुष्टि करें। शुल्क, प्राधिकरण और प्रक्रियाएँ राज्य और समय के अनुसार

बदलती हैं — अपने राज्य के प्राधिकरण से सत्यापित करें।